

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**की धारा-4 के अन्तर्गत**

**17 मैनुअल्स का संग्रह**



उत्तराखण्ड शासन

**मैनुअल संख्या-15 (पन्द्रह)**

# उत्तरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

## मैनुअल संख्या-15 (पन्द्रह)



उत्तराखण्ड शासन

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां  
जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये  
अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।

## विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
<b>मैनुअल संख्या- 15</b>		
1.	सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण	1

## 1. सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण:-

- कार्यालय भवन पर सूचना-पट लगा दिया गया है।
- सूचना प्राप्तकर्ताओं के सहायतार्थ सुविधाकर्ता नामित कर दिया गया है।
- सूचना के अधिकार अन्तर्गत सूचना प्राप्तकर्ताओं हेतु स्थान आरक्षित कर दिया गया है।
- लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित कर दिये गये हैं।
- सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी के पास कार्यालय में 385 की रसीद बुक उपलब्ध है।
- सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु उपलब्ध अन्य सुविधायें:-
  - विभाग द्वारा किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों से सीधे सम्वाद सीपित करने एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान करने हेतु **दीवार पत्रिका** का पाक्षिक रूप से प्रकाशन कराया जा रहा है। यह पत्रिका सभी दुग्ध समितियों में नियमित रूप से वितरित की जा रही है।
  - दुग्ध उत्पादकों द्वारा अपने क्षेत्रों में आ रही समस्याओं एवं विशिष्ट कार्यों का विवरण पाक्षिक रूप से दीवार पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है।
  - समय-समय पर ब्लाक, जनपद एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रतिभाग किया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य

सम्बन्धित सूचनाओं की जानकारी व्यक्तिगत रूप से एवं पम्पलेट वितरण द्वारा जनता को प्रदान की जाती है।

- बैनर, होर्डिंग एवं बाल पेंटिंग द्वारा भी आम जनता को सूचनाएं प्रदान की जाती है।